कार्यालय -- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष) मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन "ब" विंग, भू--तल,भोपाल

क्रमांक/संरक्षण/कक्ष-- 1/ 1447 /भोपाल:दिनांक 16-5-05

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी)

समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी)

मध्यप्रदेश ।

विषय :-- वन अपराधों में जप्त वाहनों को न्यायालय व्दारा सुपुर्दगी पर छोड़ना ।

संदर्भ :-- इस कार्यालय का पत्र क्रमॉक 3132 दिनांक 3--11--2001

कृपया संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें आप लोगों को सूचित किया गया था कि मान0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17--8--2000 (अपील क्रमॉक 668/2000 कर्नाटक राज्य विरुध्द श्री के कृष्णन) के अनुसार वन अपराधों में जप्त वाहनों को सुपुर्दनामें पर देने से मना किया गया है किन्तु मान0 सर्वोच्च न्यायालय के इस स्पष्ट निर्देश के बावजूद देखने में आ रहा है कि कई न्यायालयों व्दारा जप्त वाहनों को सुपुर्दनामें पर जमानत के साथ या बिना जमानत के छोड़ने के आदेश दिये जा रहे हैं । इससे स्पष्ट है कि आप लोगों व्दारा न्यायालय के ध्यान में मान0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को नहीं लिया जाता है । इस आदेश की प्रतिलिपि पुनः भेजी जा रही है । कृपया परिक्षेत्र अधिकारी स्तर के प्रत्येक अधिकारी को इसकी प्रतिलिपि दें एवं उन्हें विशेष तौर पर निर्देशित करें कि जप्त वाहनों को जमानत पर लेने के प्रत्येक प्रकरण में मान0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि न्यायालय में प्रस्तुत की जाय एवं ऐसे सभी आवेदनों का पूरे जोर से विरोध किया जाय ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

16/5/05

(डॉ0 एच एस पाबला)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश